I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB HISAR **Year (वर्ष):** 2022

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0011 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 28/06/2022 16:03 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	201
3	IPC 1860	409
4	IPC 1860	420
5	IPC 1860	467
6	IPC 1860	468
7	IPC 1860	471
8	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)(c)
9	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)d

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 01/01/2010 **Date To (दिनांक तक):** 01/12/2015

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 09:00 hrs **Time To (समय तक):** 17:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/06/2022 **Time (समय):** 15:35 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 016 **Date and Time (दिनांक और समय):** 28/06/2022 15:35 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH-EAST, 97 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): फतेहगढ जिला चरखी-दादरी,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** निरीक्षक सत्यपाल

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1972 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	राज्य चौकसी ब्यूरो हिसार, SVB HISAR, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):**

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सुनिल कुमार पूर्व सरपंच			1. गांव फतेहगढ जिला चरखी-दादरी,CHARKHI DADRI,HARYANA,INDIA
2	सुरेन्द्र सिंह			1. तत्कालीन ग्राम सचिव,फतेहगढ जिला चरखी दादरीCHARKHI DADRI,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में प्रबन्धक अफसर थाना राज्य चौकसी ब्यरो (ह.)हिसार मण्डल हिसार । श्रीमान जी, जाँच क्रमांक 01 दिनांक 21.01.2015 भिवानी निवासी गण फतेहगढ तहसील दादरी की शिकायत के आधार पर सुनिल कुमार सरपंच ग्राम पंचायत फतेहगढ के विरुद्ध अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग हरियाणा चंडीगढ़ के क्रमांक ई.सी.ए.-3-2015/56566 दिनांक 05.10.2015 की अनुपालना में महानिदेशक राज्य चौकसी ब्यूरो हरियाणा एपंचकुला के प्रष्ठाकन 15295/1-3 SVB(H) दिनांक 20.10.2015 के अनुसार दर्ज होकर पड़ताल हेतु इस मण्डल में प्राप्त हुई थी जिसमें आरोप था कि, सुनील कुमार सरंपच फतेहगढ जिला भिवानी ने अपने कार्यकाल के दौरान आई सरकारी राशि का गबन करने व पंचायत फण्डों का दुरूपयोग करने व गलियों का निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग करके व खुद के द्वारा लगाई गई ईंट फैक्टरी की ईंटों का प्रयोग करने जो कि मानक पूरा नहीं करती थी ।उपरोक्त जाँच की पड़ताल राज्य चैकसी ब्यूरो, हिसार द्वारा की गई । पड़ताल के दौरान सुनील कुमार पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत फतेहगढ के कार्यालय के दौरान गांव फतेहगढ में किये गये विकास कायों का मुल्यांकन उपबलध रिकार्ड के आधार पर पहले कनिष्ठ अभियंता व उपमण्डल अभियंता पंचायती राज, भिवानी की कमेटी द्वारा किया गया । तदोपरान्त इन गलियों का मूल्यांकन उप मण्डल अभियंता, रा०चै०व्यूरो, हरियाणा, पंचकुला द्वारा किया गया तथा विभिन्न गलियों के विभिन्न बिन्दुओं से पेवर ब्लॉक के सैम्पल लेकर टैस्टिंग हेतू एफ०एस०एल०, मधुवन भेजे गये जिनका नतीजा एफ०एस०एल० से प्राप्त होने पर उप मण्डल अभियंता रा०चौ०ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला द्वारा अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मूल्यांकन रिपोर्ट अनुसार गांव फतेहगढ़ में मेन रोड से रमेश सैनी के घर तक, श्री मंगल सैनी के घर तक प्रेम पुत्र जुगलाल (तेलू सैनी से जयपाल सैनी के घर तक इन गलियों में बिछाये गये स्टोन मेटल की मात्रा की वैट सहित कीमत 33,930/रुपये व लेबर खर्च

26,717/रुपये आंका गया जिसका मूल्यांकन उप मंडल अभियंता रा०चै०ब्यूरो हरियाणा पंचकुला द्वारा किया गया जो सही पाया गया। जे०ई०/एस०डी०ओ० पंचायती राज की तकनीकी रिपोर्ट अनुसार इन गलियों की इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक की कीमत 1,82,822/रूपये बनती है, लेकिन उप मण्डल अभियंता रा०चौ०ब्यूरो हरियाणा पंचकुला द्वारा इन गलियों में से सैम्पल न० 01 के तहत पेवल ब्लॉक के 8 नग लेकर टेस्टिंग हेतु भेजे गये। नतीजा एफ०एस०एल० अनुसार इनकी गुणवता निम्न स्तर की पाई गई। तकनीकी रिपोर्ट अनुसार इस सम्बन्ध में पेनल रेट अनुसार 69,211/रूपये की रिकवरी सरपंच से किये जाने का सुझाव दिया गया । इसी प्रकार श्री कृष्ण, धन सिंह, हंसराज, मास्टर रामकिशन के घरो के नजदीक की उक्त चार गलियों के काम का मूल्यांकन जे०ई०/एस०डी०ओ० पंचायती राज की कमेटी द्वारा किया गया, इन गलियों में बिछाये गये पत्थर का मूल्य वैट सहित 21,765/रूपये आंका गया तथा 20,900/रूपये लेबर के आके गये थे। यह मूल्यांकन उप मण्डल अभियंता रा०चौ०ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला की तकनीकी रिपोर्ट अनुसार सही पाया गया है। लेकिन उप मण्डल अभियंता रा०चौ०ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला द्वारा इन गलियों में से सैम्पल न० 02 के तहत विभिन्न जगहों से पेवर ब्लॉक के 8 नग लेकर टैस्टिंग हेतु भेजे गये। नतीजा एफ०एस०एल० अनुसार इनकी गुणवता निम्न स्तर की पाई गई। तकनीकी रिपोर्ट अनुसार इस सम्बन्ध में 1,49,609/रूपये की रिकवरी सरपंच से किये जाने का सुझाव दिया गया ।इसी प्रकार राजेश, दयानन्द, लखपत व तेजपाल के घरो के नजदीक की दो गलियों के कार्य का इंद्राज जे०ई०/एस०डी०ओ० पंचायतीराज द्वारा एम०बी० में किया जाना पाया गया। इस कार्य में लेबर पर 1,29,315/रूपये खर्च दिखाये गये हैं तथा 69 बैग सीमेंट, 269 क्यूबिक फिट डस्ट, 90 क्युबिक फिट रेत, 11760 नग ईट, 1148 क्युबिक फिट स्टोन मेटल, 27894 नग पेवर ब्लॉक, 110 क्युबिक फिट रोडी/बजरी खर्च की जानी दिखाई गई है। जो उप मण्डल अभियंता रा०चौ.ब्यूरो हरियाणा पंचकुला की तकनीकी रिपोर्ट अनुसार सही होनी पाई गई । लेकिन उप मण्डल अभियंता रा०चौ०ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला द्वारा इन गलियों में से सम्पल न० 03 व 04 के तहत विभिन्न जगहों से प्रत्येक सैम्पल में पेवर ब्लॉक के 8/8 नग लेकर टैस्टिंग हेतु भेजे गये। नतीजा एफ०एस०एल० अनुसार इनकी गुणवता निम्न स्तर की पाई गई। तकनीकी रिपोर्ट अनुसार इस सम्बन्ध में 19,919 /-रूपये की रिकवरी सरपंच से किये जाने का सुझाव दिया गया । इसी प्रकार सुरेन्द्र, शेरसिंह व टेकचन्द के घरो के नजदीक से तालाब तक की गलियों के रिकार्ड की एण्ट्री कनिष्ठ अभियन्ता पंचायती राज द्वारा एम० बी० न० 67 में पेज न० 28-41 पर की जानी पाई गई। इस कार्य की लेबर कोस्ट 1,80,643/रूपये 85 बैग सिमेंट, 350 स्क्वेअर फीट रेत, 130 स्कवेअर फीट जे सैण्ड 17225 इंटे, 4403 स्कवेअर फीट स्टोन मेटल, 36003 नग पेवर ब्लॉक व 70 स्कवेअर फीट रोडी बजरी जिसका मूल्यांकन कनिष्ठ अभियन्ता पंचायती राज ने किया है, चैक करने पर सही पाया गया, यह मूल्यांकन उप मण्डल अभियंता रा०चौ०ब्यूरो हरियाणा, पंचकुला की तकनीकी रिपोर्ट अनुसार सही पाया गया है। लेकिन उप मण्डल अभियंता रा०चौ०व्यूरो हरियाणा पंचकुला द्वारा इन गलियों में सैम्पल न0 5 व 6 के तहत विभिन्न जगहों से प्रत्येक सैम्पल में पेवर ब्लॉक के 8/8 नग लेकर टैस्टिंग हेतू भेजे गये। नतीजा एफ०एस०एल० अनुसार इनकी गुणवता निम्नस्तर की पाई गई। तकनीकी रिपोर्ट अनुसार इस सम्बन्ध में पैनल रेट अनुसार 2,06,678/रूपये की रिकवरी सरपंच से किये जाने का सुझाव दिया गया । इसी प्रकार मुकेश नाथ के घर से मैन रोड से स्पेरा बस्ती तक की गली का मूल्यांकन जे ई० एव एस०डी०ओ० पंचायती राज की कमेटी द्वारा किया गया। इनमें वैट सहित 52,650/रूपये का पत्थर, 38984/रूपये लेबर राशि चैक करने पर सही पाई गई। जे०ई० एव एस०डी०ओ० पंचायती राज ने 22,825 नग पेवर ब्लॉक की कीमत वैट सहित 2,60,790 /रूपये आंकी है । लेकिन उप मण्डल अभियंता, रा०चौ०ब्यूरो हरियाणा पंचकुला द्वारा इस गली से सैम्पल न0 7 के तहत 8 नग पेवर ब्लॉक के विभिन्न जगहों से उठाकर टैस्टिंग हेतू भेजे गये थे। नतीजा एफ०एस०एल० अनुसार इनकी गुणवता निम्न स्तर की पाई गई है तथा तकनीकी रिपोर्ट अनुसार इस कार्य में 1,95,809/रूपये की रिकवरी सरपंच से किये जाने का सुझाव दिया गया । जांच के दौरान पाया गया कि उक्त गलियों के निर्माण में सुनील कुमार पूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, फतेहगढ द्वारा उसकी खुद की फैक्ट्री के बने हुये पेवर ब्लॉक प्रयोग किये जाने पाये गये हैं, जबकि सरकारी नियमावली अनुसार कोई भी सरपंच गांव के विकास कार्यों में अपनी खुद की फैक्ट्री का माल प्रयोग नहीं कर सकता। इन गलियों में प्रयोग की गई सामग्री की पेमैंट सुरेन्द्र सिंह, पूर्व ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत, फतेहगढ़ की नियुक्ति के दौरान की जानी पाई गई। जांच से पाया गया है कि सुनील कुमार, उक्त ने श्री सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन ग्राम सचिव के साथ मिलीभगत करके गांव की गलियों में खुद की बनी फैक्ट्री के निम्न गुणवता के पेवर ब्लॉक प्रयोग करके फर्जी रिकार्ड तैयार करके तथा ग्राम सचिव द्वारा अपने पद का दुरूपयोग सरकारी रिकार्ड में फर्जी इन्द्राज करके विभिन्न पंचायती फंडों से कुल 6,41,426/रूपये का गबन किया जाना पाया गया तथा बाद में रिकार्ड को खुर्द-बुर्द करने की नीयत से रिकार्ड गुमशुदगी की रपट थाना शहर दादरी में दर्ज करनी पाई गई । अत सुनील कुमार, पूर्व सरपंच व सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत, फतेहगढ़ के विरूद्ध धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी व 201, भा0द0स0 तथा 13 (1)सी.(1)डी, सपठित 13(2) पी0सी0 एक्ट, 1988 के तहत अभियोग अंकित करने तथा 6,41,426/- रूपये की रिकवरी किये जाने का सुझाव दिया गया है। उक्त गबन में यदि किसी अन्य व्यक्ति या किसी कर्मचारी/अधिकारी की भूमिका भी रही हो तो उसे तफतीश के दौरान देख लिय जाने बारे कहा गया । उक्त जांच की अन्तिम रिपोर्ट कार्यकारी पुलिस अधीक्षक राज्य चौक्सी ब्यूरो हिसार दवारा महानिदेशक राज्य चौक्सी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के कार्यालय में भेजी गई । जो परिक्षणों परान्त महानिदेशक रा0चौ0ब्यूरो हरियाणा पंचकुला दवारा पत्र क्रमांक 12704 /रा0 चौ0ब्यूरो (ह.) दिंनाक 02.08.2019 की जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी गई । अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार चौक्सी विभाग के यादि क्रमांक 61/80/2014-2 चौक्सी दिंनाक 03.06.2022 की अनुपालना महानिदेशक राज्य चौक्सी ब्यूरो हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 9538 / आई-3/ रा0चौ0ब्यूरो हरियाणा दिंनाक 15/06/2022 के अनुसार सुनील कुमार, पूर्व सरपंच व सुरेन्द्र सिंह, तत्कालीन ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत, फतेहगढ़ के विरूद्ध जेर धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120-बी व 201, भा0द0स0 तथा 13 (1)सी.(1)डी, सपठित 13(2) पी0सी0 एक्ट, 1988 के तहत अभियोग अंकित करने के आदेश प्राप्त होने पर अभियोग अंकित किया जाकर जाँच क्रमांक 01 दिनांक 21.01.2015 भिवानी की चार फाईले बराए अनुसंधान निज्द निरीक्षक कुलवंत राज्य चौकसी ब्यूरो उपकेन्द्र भिवानी भेजी जा रही है तथा प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रति बजरिया डाक / ईमेल ईलाका मजिस्टेट साहब व पुलिस अधीक्षक हिसार व अन्य सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को भिजवाई जा रही है । sd Satyapal निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, हिसार मण्डल, हिसार । अज थानाः- लेख हजा पर मुकदमा व जुर्म दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर नकल मिशल पुलिस मय असल लेख मय आमदा रिकार्ड कुल 04 फाईल बराये तफतीश निजद निरीक्षक कुलवंत नं. 55/SR राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र भिवानी के पास भेजी जा रही हैं । नकुलात प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मजिस्ट्रेट साहब चरखी दादरी व पुलिस अधीक्षक चरखी दादरी को बजरिया ई-मेल/डाक से भेजी जा रही है ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Kulwant Singh **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 55SR **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Abhay Singh

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): 657/NNL

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male					**Is pox pitted:** Yes
2	Male					**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)